न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 35/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. महिपाल सिंह पुत्र सहजाद सिंह जाति राजपूत निवासी उतरलाई जिला बाड़मेर (फर्म मुनिम)
2. शिवराज सिंह शेखावत पुत्र कल्याण सिंह शेखावत गुरूवारे के सामने उतरलाई जिला बाड़मेर (फर्म महालक्ष्मी किराणा स्टोर उतरलाई जिला बाड़मेर का प्रोप्राईटर)
3. लक्ष्मण सिंह राठौड़ उतरलाई जिला बाड़मेर (फर्म महालक्ष्मी किराणा स्टोर उतरलाई जिला बाड़मेर का बिजनेस मैनेजर)
4. श्रीमती सुशीला पत्नी चम्पालाल (सोल प्रोप्राईटर मैं. गौतमचन्द मालू एण्ड कम्पनी) जी. 9 कृषि मण्डी बाड़मेर
5. जितेन्द्र धाईभाई पुत्र पुसाराम धाईभाई (नोमिनी व्यक्ति) मार्फत मैं0 रूची सोया इण्डिस्ट्रिज लिमिटेड जी.9 न्यू कृषि मण्डी बाड़मेर

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.05.2015 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त दोपहर 01.00 बजे महालक्ष्मी किराणा स्टोर उतरलाई जिला बाड़मेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम व पता पूछने पर

न्याय निर्णयन अधिकारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अपना नाम महिपाल सिंह पुत्र सहजाद सिंह जाति राजपूत निवासी उतरलाई जिला बाड़मेर (फर्म मुनिम) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड महाकोष (500 एम.एल.) की 20 बोतलें एक कार्टून में रखी हुई पाई गई। उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन तेल महाकोष ब्राण्ड में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 664 के द्वारा रूपये 160/– नगद अदा कर 500–500 एल.एल. की कुल 04 बोतले सीलबन्द क्रय की गई एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.510 खाध पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित किया। चार पैकेटो को चार भागों में बांट कर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.510 नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.510 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल महाकोष ब्राण्ड की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/301/एक्ट/2015/296 दिनांक 12.05.

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार जॉच में खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल महाकोष ब्राण्ड का नमूना पी.510 मिसब्राण्ड पाया गया। इसप्रकार जॉच में misbranded पाये गये खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल महाकोष ब्राण्ड का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.510 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 07.05.2015 को जांच के दौरान् रिफाइण्ड सोयाबीन तेल महाकोष ब्राण्ड में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में नमूना पी.510 मिसब्राण्ड पाया गया जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/301/एक्ट/2015/296 दिनांक 12.05.2015 अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड महाकोष का नमूना जॉच में misbranded पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण महिपाल सिंह वगैरहा द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में misbranded पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना के मध्यनजर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अभियुक्त महिपाल सिंह वगैरहा (प्रत्येक पर) पर रूपये 8,000/– (अक्षरे रूपये आठ–आठ हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट,बाडमेर

आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर